रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032021-225938
CG-DL-E-16032021-225938

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1139] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942
No. 1139] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021

का.आ. 1227(अ).—सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 एवं 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इसके द्वारा अनुसूची में वर्णित ब्यौरे के अनुसार औद्योगिक उत्पादन के मासिक सूचकांक के संकलन तथा रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के वार्षिक प्रकाशन "रसायन एवं पेट्रोरसायन आंकड़े एक दृष्टि में" के संकलन हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वृहत एवं मध्यम इकाई के रसायन एवं पेट्रोरसायन इकाइयों को मासिक आधार पर उत्पादन, स्थापित क्षमता, निर्यात, आयात और इनपुट डाटा संबंधी आंकड़ों के संग्रह का निर्देश देता है ।

2. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, इसके आगे, उपरोक्त निर्देश के संदर्भ में, कार्यालय में अपने समनुदेशिति व्यक्ति को भी, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है, सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है:

तालिका

सांख्यिकी अधिकारी	पता (ई–मेल सहित)
उप महानिदेशक (सांख्यिकी एवं निगरानी प्रभाग) वर्तमान में श्री एन.के. संतोषी	रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कक्ष संख्या 231, ' ए ' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 दूरभाष : 23387761 (ओ) ई:मेल- nk.santoshi@gov.in

3. सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को सांख्यिकी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में, प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सूचना के सत्यापन, संगत दस्तावेजों की जांच करने और आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण मांगने का कार्य सौंपा जाएगा । प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति को एक फोटो पहचान पत्र अथवा सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी अधिकार - पत्र अपने पास रखना होगा ।

4. उपर्युक्त निर्देश के संदर्भ में एकत्रित आंकड़ों का सत्यापन और उनकी जांच उप महानिदेशक के कार्यालय (साख्यिकी एवं निगरानी प्रभाग), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में की जाएगी। तत्पश्चात, मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संकलन के लिए प्रासंगिक आंकड़ों को मासिक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने के लिए आर्थिक-साख्यिकी प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग वार्षिक प्रकाशन "रसायन एवं पेट्रोरसायन आंकड़े एक दृष्टि में" को तैयार करने के लिए किया जाएगा।

5. उपरोक्त निर्देशों के संदर्भ में किसी गतिविधि में शामिल सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

अनुसूची

आंकड़ों के संग्रहण का विषय एवं उद्देश्य:

1. प्रत्येक माह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने के लिए उत्पादन, स्थापित क्षमता, आयात, निर्यात और इनपुट से संबंधित आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अथवा ऑनलाइन माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे, जिसका प्रयोग रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा नीति संबंधी उद्देश्यों के लिए और रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के नियमित साख्यिकीय प्रकाशन के लिए किया जाएगा।

आंकड़ों के संग्रह के लिए भौगोलिक क्षेत्र:

2. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के तहत आंकड़े पूरे भारत में एकत्र किए जाएंगे।

आंकड़ों के संग्रहण का तरीका:

3. सूचना प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ऑनलाइन या ई-मेल) के माध्यम से सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उन्हें जारी किए गए नोटिस के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अपेक्षित आंकड़े भेजने होंगे। सांख्यिकी अधिकारी, इस तरह की अन्य शर्तों के अधीन जिन्हें कि वह नोटिस में निर्दिष्ट कर सकता है, सूचना प्रदाता को अन्य रूप में निर्धारित सूचना प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं।

सूचना प्रदाताओं की प्रकृति, जिनसे आंकड़े एकत्रित किए जा सकते है:

4. किसी पंजीकृत इकाई के मालिक या प्रबंधक को जिन्हें सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, उन्हें अपने प्रतिष्ठान के बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

अवधि जिसके दौरान आंकड़ों का संग्रहण पूरा किया जा सकता है:

5. प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा प्रत्येक कैलेंडर माह की सूचना आगामी माह के 15 वें दिन या उससे पहले भेजी जानी आवश्यक होगी जैसाकि नोटिस में उल्लिखित है ।

संदर्भ अवधिः

6. सूचना को प्रत्येक कैलेंडर माह के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

एकत्रित की जाने वाली सूचना की प्रकृतिः

7. सूचना प्रदाताओं से उत्पादन (मात्रा और मूल्य), आयात, निर्यात, स्थापित क्षमता, इनपुट पर मासिक डाटा एकत्र किया जाएगा।

सूचना प्रदाता द्वारा दी जाने वाली सूचना की भाषा:

8. प्रत्येक सूचना प्रदाता निर्धारित प्रारूप में अंग्रेजी में सूचना प्रस्तुत करेगा।

सूचना प्रदाता का दायित्व:

9. किसी इकाई का मालिक या प्रबंधक सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लेख के अनुसार प्रत्येक माह निर्धारित तिथि तक निर्धारित तरीके से सूचना प्रस्तुत करेगा। उन्हें निरीक्षण के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करना होगा, और सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अपेक्षित सूचना के संबंध में सवालों का जवाब देना होगा।

व्यवसाय संबंधी अभिलेखों और अन्य अभिलेखों की प्रकृति जिनका निरीक्षण किया जा सकता है:

10. सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यत्ति द्वारा किसी इकाई के व्यावसायिक अभिलेख अथवा इकाई द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के समर्थन में किसी भी अन्य कानूनी दस्तावेज का निरीक्षण किया जा सकता है।

निरीक्षण का तरीका:

11. सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति इकाई के व्यवसाय संबंधी अभिलेखों के आधार पर इकाई द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन कर सकते हैं और संबंधित मालिक या प्रबंधक या इकाई के प्रबंधन द्वारा अधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

[फा. सं. 25019/17/2017- एस और एम (पी टी.)]

एन.के. संतोषी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2021

S.O. 1227(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) and read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers hereby directs collection of statistics on production, installed capacity , Export, Import, and Input data on a monthly basis from large and medium scale chemical and petrochemical units through electronic mode or on-line portal for compilation of monthly Index of Industrial Production, and for compilation of Department of Chemicals and Petrochemicals Annual publication “Chemical and Petrochemical Statistics at a glance” as per the details mentioned in the Schedule.

2. The Department of Chemicals and Petrochemicals further appoints the person as also its assignee in office, mentioned in the table below, as a Statistics Officer with reference to the aforesaid direction:

TABLE

Statistics Officer	Address (with e-mail)
Deputy Director General (Statistics and Monitoring Division) Presently Shri N K Santoshi	Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Room No. 231, ‘A’–wing , Shastri Bhawan , New Delhi-110001’ Tele: 23387761 (O), E-mail ID: nk.santoshi@gov.in

3. The persons authorised by the Statistics Officer would be engaged in the jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary. Each authorised person would carry a photo identity card or letter of authorisation issued by the Statistics Officer.

4. The statistics collected with reference to the aforesaid direction will be verified and scrutinized at the Office of the Deputy Director General (Statistics and Monitoring Division), Department of Chemicals and Petrochemicals. The statistics relevant for compilation of monthly Index of Industrial Production would then be made available by Department of Chemicals and Petrochemicals to the Office of the Economic Statistics Division, National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation for generation of monthly Index of Industrial Production. The statistics available with Department of Chemicals and Petrochemicals will be used for preparation of Annual publication “Chemical and Petrochemical Statistics at a glance”.

5. All persons engaged in any activity in respect of the aforesaid directions are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011.

SCHEDULE

Subject and purpose for collection of statistics:

1. Statistics relating to production, installed capacity, Import, Export and Input would be collected through electronic mode via e-mail or on-line for generation of Index of Industrial Production every month, use for policy purposes in Department of Chemicals and Petrochemicals, and for the regular statistical publication of Department of Chemicals and Petrochemicals.

Geographical area for collection of statistics:

2. The statistics would be collected in the whole of India under the Collection of Statistics Act, 2008.

Method of data collection:

3. Informants would be required to send the required data in the prescribed format through electronic mode (online or e-mail) as per the notice issued by the Statistics Officer to informants under his jurisdiction. Statistics Officer may permit informant to furnish the prescribed information in other form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.

Nature of informants from whom data may be collected:

4. The owner or manager of a registered unit who would be issued notice by the Statistics Officer shall furnish the required information about his establishment.

Period during which collection of statistics may be completed:

5. The information for every calendar month would be required to be sent on or before the 15th day of the following calendar month by each informant as mentioned in the notice.

Reference period:

6. Information is required to be furnished for each calendar month.

Nature of information to be collected:

7. The monthly data on production (quantity and value), Import, Export, Installed Capacity, Inputs would be collected from the informants.

Language in which information is to be furnished by informant:

8. Every informant shall furnish information in the prescribed format in English.

Obligation of informant:

9. An owner or manager of a unit shall furnish information in the prescribed manner and by stipulated date every month as mentioned in the notice received by him from the Statistics Officer. He should also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorised by him.

Nature of business records and other records which may be inspected:

10. Business records of a unit, any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the Statistics Officer or a person authorised by him.

The manner of inspection:

11. The Statistics Officer or a person authorised by him may verify the information furnished by the units on the basis of business records of the unit and seek clarifications from the concerned owner or manager or a person authorised by the management of unit.

[F. No. 25019/17/2017- S&M (Pt.)]

N. K. SANTOSHI, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.16 19:56:38 +05'30'